न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 27/2019

वादी
1–नरेन्द्रकुमार पुत्र पांचुराम जाति गिवारीया
निवासी हरसौर तहसील डेगाना जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–
1–उगमादेवी पत्नि तुलछीराम (फौत) के कायम मुकाम
1/1–सुरजाराम पुत्र तुलछीराम
1/2–श्रवणी पुत्री तुलछीराम
1/3–सतु पुत्री तुलछीराम
2–गीगाराम पुत्र गंगाराम
जातियान बावरी निवी मोड़ीकलां तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
3–तहसीलदार रियांबड़ी
4–पटवारी हल्का मोड़ीकलां

दावा बाबत बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :–04/10/22

वादी का वाद निम्नलिखित पेश है कि:–

1–यह है कि ग्राम मोड़ीकलां के खेत पुराना ख्सरा नंबर 170 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 206 रकबा 0.18 हैक्टर व खसरा नंबर 209 रकबा 307 हैक्टर कुल रकबा 3.25 हैक्टर कायम किये गये है। खतोनी नकल साथ में पेश है।

2–यह है कि पैरा नंबर 1 में वर्णित भूमि को आग्र वाद में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3–यह है कि विवादित भूमि में सें वादी ने 1/3 भाग जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 16.6.2017 को रामप्रकाश पुत्र हरदेव व मंजुदेवी पत्नि हरदेव जातियान बावरी निवासीगण मोड़ीकलां से खरीद किया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 606 दिनांक 5.7.2017 को वादी के नाम से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जा चूका है।

4–यह है कि विवादित भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी की भूमि है। जिसका मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है व अलग अलग धोरे व पालियां दी हुई है। व अपने अपने बंट पर अलग अलग काश्त व काबिज चले आ रहे है। परंतु कानूनी रूप से बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। इसलिए वादी अपनी खरीदसुदा भूमि का माफिक खातेदारी के अनुसार कानूनी रूप से बंटवाड़ा करवाने हतू वादी यह बंटवाड़ा का वाद पेश कर रहा है।

5–यह है कि उपरोक्त खसरान का बंटवाड़ा पक्षकारान के बीच किया हुआ है जो निम्न प्रकार से है:–

वादी के बंट में–

मोड़ीकलां के खसरा नंबर 209 रकबा 3.07 हैक्टर में सें रकबा 1.09 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है।

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(नागौर)

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बंट में :–

मोड़ीकलां के खसरा नंबर 209 रकबा 3.07 हैक्टर में सें रकबा 1.98 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखा जावे व खसरा नंबर 206 रकबा 0.18 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

6–यह है कि उपरोक्त बताये माफिक अपने बंट की भूमि पर काश्त व काबिज है तथा मौके पर अलग अलग सीवें माठे कायम की हुई है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1,2 का नाम खातेदारी में सामिल है। जिससे वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

7–यह है कि उपरोक्त खसरान का बंटवाड़ा मौके पर कर लिया गया है। मगर कानूनी रूप से बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे अभी तक माफिक बंट के अलग अलग खातेदारी का ईन्द्राज नही हुआ है। जिससे वादी वादग्रस्त खसरान का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवाने हेतू बंटवाड़ा का वाद पेश कर रहा है।

8–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा के निम्न प्रकार से सादिर फरमाई जावें।

1–मौजा मोड़ीकलां की सरहद मे स्थित खसरा नंबर 206 रकबा 0.18 हैक्टर व खसरा नंबर 209 रकबा 3.07 हैक्टर कुल रकबा 3.25 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी काश्त व कब्जासुद है। जिसमें 1/3 भाग वादी व 2/3 भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी का बंटसुदा है।

2–यह है कि विवादित खसरान का बंटवाड़ा वादपत्र के पेरा संख्या 5 में बताये अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर माफिक बंटवाड़ा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज किया जावें व सेपरेट पजेशन करवाया जाकर माफिक बंट के अलग अलग नक्शा में तरमीम की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए । प्रतिवादीगणो को जबाब हेतू आवाज दी गई,पर कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 फौत होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4सीपीसी का प्रार्थना पत्र कर प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम सूची पेश की गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम रेकार्ड पर लिये गये। जिनके सम्मन कायम मुकाम जबाब हेतू जारी किये गये। बाद तामिल के कायम मुकाम अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा तहसीलदार रियांबड़ी से कब्जा काश्त की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई। वादी के वकील ने प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम में सुखदेव पुत्र उगमादेवी फौत हो गया। जिसके पीछे पत्नि पुत्र पुत्रियां वारिसान नहीं है। इसलिए इनके विधिक वारिस प्रतिवादी संख्या 1/1–1/2–1/3 है। इसलिए सुखदेव का नाम वाद से डिलीट किया जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अतः प्रतिवादी संख्या सुखदेव का नाम वाद से हटाया गया।

तहसीलदार रियांबड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार–

वादी नरेन्द्रकुमार पुत्र पांचाराम का खसरा नांबर 209 में सें 1.03 हैक्टर पर कब्जा काश्त है।

तथा खसरा नंबर 209 में सें 2.04 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी संख्या संख्या 1 व 2 कब्जा काश्त है। खसरा नंबर 206 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सामलाती कब्जा है।

वकील वादी की बहस समायत की गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार वादी प्रतिवादी काश्त काबिज है। इसी अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जावें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली उपलब्ध जमाबंदी,बेचाननामा व तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट,नजरी नक्शा एंव राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया

उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(नागौर)

गया। समस्त विवेचन से पाया गया कि वादी ने विवादित भूमि के 1/3 भाग जरिए रजिस्टर्ड कय किया गया था। वादी व प्रतिवादीगण ने मोखिक बंट किये हुए है और धोरे माठे भी काम की हुई। मगर राजस्व रिकार्ड में माफिक कब्जा काश्त के बंटवाड़ा नही है। जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तथा बंटवाड़ा बाई मिट्स बाउण्डस किया जाकर इस आशय की डिकरी जारी की जाती है कि :–

" मौजा मोड़ीकलां के खसरा नंबर 209 रकबा 3.07 हैक्टर में सें रकबा 1.09 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखा जाता है। खसरा नंबर 209 में सें 1.98 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम व प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में रखा जाता है। एंव खसरा नंबर 206 में प्रतिवादीगण के सामलाती नजरी नक्शा के अनुसार रखा जाता है।" इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें एंव नक्शा में तरमीम करें। लगान कायम करें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिकी पर्चा व तहरीर जारी हों। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः– यदि कोई खसरा की भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(नागौर)

निर्णय आज दिनांक 4/10/22 को बइजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी(नागौर)